जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./17/डी–738 दिनांकः– 29-9-17

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 138वीं बैठक दिनांकः 25.09.2017 को जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		138:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 137वीं बैठक दिनांक 22.08.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 118वीं से 137वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 137वीं बैठक दिनांक 22.08.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 118 से 137 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुये त्वरित पालना करने के निर्देश दिये गये।
2.	11	138:2	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आर्थिक पिछडा वर्ग कॉलेज स्तरीय बालक छात्रावास, जगतपुरा जयपुर हेतु भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निजी खातेदारी आवासीय योजना ओम सांई शिरडीपुरम ग्राम जयपुरा तहसील सांगानेर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 478 रकबा 2800 व.मी. में से 1000 वर्गमीटर भूमि आर्थिक पिछडा वर्ग कॉलेज स्तरीय बालक छात्रावास हेतु आवंटन करने के संबंध में एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसरण में विभाग को ओम सांई शिरडीपुरम ग्राम जयपुरा तहसील सांगानेर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 478 में से 1000 वर्गमीटर भूमि आर्थिक पिछडा वर्ग कॉलेज स्तरीय बालक छात्रावास, जयपुर हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	11	138:3	श्री गोपाल शंकरलाल करवा एवं श्रीमती भावना गोपा करवा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 10 में बढ़े हुए क्षेत्रफल 47.5 वर्गमीटर व सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 42 में बढ़े हुए क्षेत्रफल 7.5 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री गोपाल शंकरलाल करवा एवं श्रीमती भावना गोपा करवा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 21.25 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 10 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 21.25 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री गोपाल शंकरलाल करवा एवं श्रीमती भावना गोपा करवा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 42 क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 7.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 42 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 7.5 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4.	11	138:4	साहित्य सदावर्त समिति, जयपुर को पूर्व में ग्राम राजावास तहसील आमेर में विश्वविद्यालय हेतु आवंटित भूमि मौके पर कम होने से 1.58 हैक्टेयर भूमि आवंटन किये जाने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।
5.	11	138:5	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार को निजी खातेदारी की आवासीय योजना मंगलम विहार ए, बी, सी के भूखण्ड संख्या सी–124 के स्थान पर सी–236 नवीन भूखण्ड व एलआईजी श्रेणी से अधिक बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 124वीं बैठक दिनांक 26.05.16 में लिये गये निर्णयानुसार श्री अशोक कुमार को निजी खातेदारी की आवासीय योजना मंगलम विहार ए, बी, सी के भूखण्ड संख्या सी–191 के स्थान पर लॉटरी द्वारा भूखण्ड संख्या सी–124 क्षेत्रफल 94.07 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। किन्तु उक्त भूखण्ड संख्या सी–124 काश्तकार की जमीन के समीप है एवं काश्तकार द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। अतः उपायुक्त द्वारा भूखण्ड संख्या सी–124 क्षेत्रफल 94.04 वर्गमीटर के स्थान भूखण्ड संख्या सी–236 क्षेत्रफल 92.90 वर्गमीटर के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या सी–124 के स्थान पर भूखण्ड संख्या सी–236 क्षेत्रफल 92.90 वर्गमीटर विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि योजना के जिन भी भूखण्डों पर अतिक्रमण है, उन पर से शीध्र अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे।
6.	11	138:6	सशस्त्र सीमा बल को पृथक पारिवारिक आवास हेतु जविप्रा दहमीकलां संस्थानिक योजना में सृजित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 83233.72 व.मी. में से 20233.00 व.मी. (5 एकड) भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा सशस्त्र सीमा बल को पृथक पारिवारिक आवास हेतु जविप्रा दहमीकलां संस्थानिक योजना में सृजित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 83233.72 व.मी. में से 20233.00 व.मी. (5 एकड) भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सशस्त्र सीमा बल को पृथक पारिवारिक आवास योजना हेतु दहमीकलां संस्थानिक योजना में सृजित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 83233.72 व.मी. में से 12000 व.मी. भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–3(268)नविवि/3 /2011 दिनांक 03.07.12 के अनुसार केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारण हेतु प्रकरण संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दर निर्धारण हेतु मय चैक लिस्ट प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया गया।
7.	11	138:7	अधिशाषी अभियन्ता, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर), जयपुर को निजी खातेदारी की योजना श्री कृष्णावन विस्तार ग्राम श्रीराम	उपायुक्त जोन–12 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, परियोजना खण्ड- द्वितीय (उत्तर), जयपुर को निजी खातेदारी की योजना श्री कृष्णावन विस्तार ग्राम श्रीराम गोपालपुरा उर्फ भोजयावास तहसील सांगानेर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 1562.71 वर्गगज में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.

(एल.पी.सी.) ... प्राधिकरण, जयपुर

			गोपालपुरा उर्फ भोज्यावास तहसील सांगानेर में आरक्षित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 1562.71 वर्गगज में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आवंटन किये जाने बाबत।	आर. हेतु आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को श्री कृष्णावन विस्तार के सुविधा क्षेत्र में से 900 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
8.	11	138:8	अधिशाषी अभियन्ता, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर), जयपुर को ग्राम भांकरोटा कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 840 किस्म चरागाह रकबा 2.12 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आरक्षित किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर), जयपुर को भांकरोटा कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 840 किस्म चरागाह रकबा 2.12 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में विभाग हेतु ग्राम भांकरोटा कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 840 किस्म चरागाह में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
9.	11	138:9	अधिशाषी अभियन्ता, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर), जयपुर को ग्राम सिंवार तहसील जयपुर के खसरा नं. 1067 किस्म चरागाह रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आरक्षित किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर), जयपुर को ग्राम सिंवार तहसील जयपुर के खसरा नं. 1067 किस्म चरागाह रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में ग्राम सिंवार तहसील जयपुर के खसरा नं. 1067 किस्म चरागाह में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
10.	12	138:10	अधिशाषी अभियन्ता, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर), जयपुर को ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 516 किस्म गैर मुमकिन श्मशान रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आवंटन किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर), जयपुर को ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 516 किस्म गैर मुमकिन श्मशान रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस. आर. हेतु आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार उक्त भूमि पर मौके पर श्मशान स्थित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसरण में विभाग को ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 516 में से 1000 वर्गमीटर भूमि (विभाग द्वारा स्थानीय पार्षद की एन.ओ.सी. प्रस्तुत करने की शर्त पर) ई.एस.आर. हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
11.	13	138:11	श्री हरकेश पुत्र श्री देवीराम को निजी खातेदारी की योजना श्याम वाटिका फेज द्वितीय में आरक्षित ई.डब्ल्यू.एस भूखण्ड संख्या ई/9 क्षेत्रफल 41.80 वर्गमीटर का सहवन से जब लॉटरी निकाली गई तो भूखण्ड संख्या ई/9 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ई/19 अंकित हो जाने से संशोधित करवाने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि निजी खातेदारी की योजना श्याम वाटिका फेज द्वितीय में आरक्षित ई.डब्ल्यू.एस भूखण्ड संख्या ई/9 क्षेत्रफल 41.80 वर्गमीटर के दस्तावेज निर्धारित समय में जमा नहीं कराने पर आवंटन निरस्त कर दिया गया। उक्त भूखण्ड पुनः लॉटरी में शामिल किया गया। किन्तु सहवन से भूखण्ड संख्या ई/9 के स्थान पर ई/19 लॉटरी हेतु चला गया। जो कि श्री हरकेश पुत्र श्री देवीराम को आवंटित हो गया। उक्त भूखण्ड संख्या ई/19 क्षेत्रफल 41.80 वर्गमीटर पूर्व में ही श्री प्रदयुम्न को आवंटित है। अतः उपायुक्त द्वारा निजी खातेदारी की योजना श्याम वाटिका फेज द्वितीय में आरक्षित ई.डब्ल्यू.एस भूखण्ड संख्या ई/19 क्षेत्रफल 41.80 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या ई/9 क्षेत्रफल 41.80 वर्गमीटर का विनिमय करने

				हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ई/19 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ई/9 विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
12.	13	138:12	श्री आजाद कुमार पुत्र श्री मोहन लाल को निजी खातेदारी की आवासीय योजना ग्रीन त्रिवेणी में ई. डब्ल्यू.एस. भूखण्ड संख्या 333(सी) का मौके पर क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण ई.डब्ल्यू. एस. श्रेणी से एल.आई.जी. श्रेणी का होने से बढे हुये क्षेत्रफल की राशि ली जाकर भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्री आजाद कुमार पुत्र श्री मोहन लाल को निजी खातेदारी की आवासीय योजना ग्रीन त्रिवेणी में ई. डब्ल्यू.एस. भूखण्ड संख्या 333(सी) क्षेत्रफल 44.15 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। भूखण्ड का मौके पर 4.49 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ़कर 48.64 वर्गमीटर हो जाने से उक्त भूखण्ड ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के स्थान पर एल.आई.जी. श्रेणी का हो गया। उपायुक्त द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल को ई.डब्ल्यू. एस. श्रेणी की आवासीय आरक्षित दर ली जाकर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 333(सी) में बढ़े हुये क्षेत्रफल 4.49 में से 0.85 वर्गमीटर ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से एवं शेष 3.64 वर्गमीटर भूमि एल.आई.जी. श्रेणी की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
13.	13	138:13	अधीक्षण अभियंता (जयपुर जिला वृत्त), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को राजस्व ग्राम चिताणुकलां तहसील आमेर के खसरा नं. 1181 रकबा 13.54 हैक्टेयर में से 0.15 हैक्टेयर भूमि आरक्षित करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

प्राधि० आयुक्त सदस्य सचिव (ए.पी.सी.)
एवं
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर–I/II व दक्षिण–I/II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
प्राधि० आयुक्त (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 138वीं बैठक दिनांक 25.09.2017 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री एच. गुईटे, सचिव	सदस्य
3.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय)	सदस्य
4.	श्री बृजेश किशोर शर्मा, कार्यवाहक निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्रीमती साधना शर्मा, प्रतिनिधि निदेशक (नगर आयोजना)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री बीरबल सिंह, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
8.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
9.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
10.	श्री बी0 सी0 गंगवाल, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
11.	श्रीमती एकता काबरा, उपायुक्त पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)	विशेष आमंत्रित
12.	श्री ओम थानवी, तहसीलदार जोन–9	विशेष आमंत्रित
13.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित